

कार्यालय कलेक्टर परिवर्तित शाखा रायपुर

सूचना पत्र प्रारूप अ

अपर कलेक्टर का मामला क्र. 53 अ-2/वर्ष 2014-15

आदेश दिनांक 11/11/14

अ. वि. अ. रा. का. मामला क्र. 71 अ-2/वर्ष 2014-15

प्रति

आवेदक

श्री श्रीमती

सिंधानिया बिल्डकॉन प्रा. लि. द्वारा 59/4, 570, 571, 572, 594

आवेदक का पता

सिंधानिया पिन 212507

निवासी हिरापुर रोड रायपुर

ग्राम हिरापुर

प. ह. नं. 103

रा. नि. नं.

21432

तहसील

रायपुर

जिला रायपुर (उ.प्र.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तित होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड-5 में लिये अनुसार राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथाविधि पुष्टिकरण हो गई है।

खसरा नंबर	परिवर्तित भूमि का आदि	परिचालित भूमि का रकबा	पूर्व की राजस्व कृषि भूमि की दर	संशोधित राजस्व अकृषि भूमि का निर्धारण हुआ	राजस्व लगान जो निर्धारित हुआ	निकास, व्यवसाय हेतु निर्धारण किया गया
-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

खसरा नंबर 563/1, 594/4, 570, 571, 572, 594 (आवासीय/व्यवसायिक/अन्य प्रयोजन)

प. ह. नं. 103 ग्राम हिरापुर तहसील लगान 9907= रुपये का 5 प्रतिशत अधोसंरचना

रकबा वर्गफुट (अंकों में) कुल रकबा 76207 वर्ग फुट

विकास कर एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण उपकर

रकबा (शब्दों में) द्विहत्तर हजार दो सौ साठ वर्ग फुट

टीप - इस रकम आगामी दिनांक 01.10.2014 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार रायपुर को भुगतान करना होगा।

परिवर्तित भूमि का निर्धारण लगान रुपये 9907= प्रतिवर्ष की दर से वर्ष 2014-15 तक निर्धारित है।

- 1- लगान रुपये 9907=
- 2- प्रीमियम 106237=
- 3- अधोसंरचना विकासकर 495=
- 4- पर्यावरण उपकर 495=
- 5- पंचायत उपकर X
- 6- अधंगण X

योग राशि रुपये 117134= अक्षरी एक लाख साठ हजार साठ रुपये के बराबर

प्रस्तुत मूल बालान क्रमांक 15320087 दिनांक 13/11/14 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया। प्रकरण में धारा 59 (2) के तहत पुनः निर्धारण किया गया। धारा 172(1) के तहत अपवर्तन अनुज्ञा नहीं माना जावे।

टीप :- शर्तें : आवेदक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनावेदक को एक अभिविज्ञापन अनुमोदन कराकर समस्त विभागों से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगा। बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनों में उपयोग न किया जावे। बिना अनुमति के उप विभाजन न करने नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय रायपुर छोगो के द्वारा आरोपित शर्तों का पालन किया जावे तथा आवेदक उपर्युक्त निर्दिष्ट समयवाधि के भीतर वार्षिक भू-राजस्व जमा करने में विफल होता है तो ऐसा कालावधि की समाप्ति से प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का भी दायी होगा।

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

(Signature)
Director

(Signature)
अपर कलेक्टर
रायपुर

10/ वाचक/परि० भूमि/2014

पि :- अनुविभागीय अधिकारी रायपुर को आदेश क्र०/क/परि० भूमि/अनवि०/370 दिनांक 18.09.2012 के अनुसार सूचनार्थ।

(Signature)
अपर कलेक्टर
रायपुर

Office

11/18

983/82

971027/10182

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Account Name	Account No.	Branch	Account Type	Account Status	Account Balance	Account Description	Account Remarks	Account Date	Account Amount	Account Location	Account Category	Account Sub-Category	Account Code	Account Unit	Account Rate
257X	1234	5678	9101	2345	6789	1011	1213	1415	1617	1819	2021	2223	2425	2627	2829
257X	1234	5678	9101	2345	6789	1011	1213	1415	1617	1819	2021	2223	2425	2627	2829
257X	1234	5678	9101	2345	6789	1011	1213	1415	1617	1819	2021	2223	2425	2627	2829
257X	1234	5678	9101	2345	6789	1011	1213	1415	1617	1819	2021	2223	2425	2627	2829
257X	1234	5678	9101	2345	6789	1011	1213	1415	1617	1819	2021	2223	2425	2627	2829

Director

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

25/11/18

25/11/18

Stamp: 25/11/18
1801/20/18

न्यायालय अपर कलेक्टर (परिवर्तित शाखा) रायपुर, (छ.ग.)

सूचना पत्र प्रारूप अ

अपर कले. रा.का.मामला क्र./702 ए-2/वर्ष 2014-15

आदेश दिनांक 08.09.2015

अ.क्र./रा.का.मामला क्र./4346ए-2/वर्ष 2014-15
प्रति,

मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा0लि0, द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया पिता श्री श्यामलाल सिंघानिया, कार्यालय- श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड, रायपुर तहसील व जिला रायपुर, (छ.ग.) द्वारा ग्राम जरवाय उर्फ हीरापुर प0ह0नं0- 103/34 तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड 5 में लिये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है

ख.न.	परिवर्तित पूर्व	राजस्व	संशोधित राजस्व	भू-राजस्व जो	निवास व्यवसाय हेतु
आदि	भूमि का	कृषि भूमि	अकृषि	निर्धारित हुआ	निर्धारण किया गया
	रकबा	की दर	पर निर्धारण हुआ।		

खसरा नम्बर:- 565, 567 का भाग, 581/21, 592, 595, 593, 596/3, 567का भाग, 563/1का भाग, 596/4का भाग, ("आवासीय, सुविधाजनक दुकाने एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु")

प.ह.न. 103/34ग्राम-जरवाय उर्फ हीरापुर प्रयोजन हेतु रकबा वर्ग फुट में (अंको में) 1,03,726व.फु. भू-राजस्व आवासीय प्रयोजन हेतु 11,778=00रूपये, व्यवसायिक कार्यालय सुविधाजनक दुकाने 2494=00रू0,05 प्रतिशत अधोसंरचना विकासकर एवं 5प्रतिशत उपकर, रकबा(शब्दों में):-एक लाख तीन हजार सात सौ छब्बीस वर्गफुट मात्र

टीप: उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2015 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार रायपुर, को भुगतान करना होगा।

परिवर्तित भूमि का निर्धारित भू-राजस्व रूपये:- आवासीय प्रयोजन 11,778=00रूपये, व्यवसायिक सुविधाजनक दुकाने प्रयोजन 2494=00रू0 प्रतिवर्ष की दर से वर्ष एवं 2014-15 से निम्नानुसार -

	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक सुविधाजनक दुकाने
1. भू-राजस्व रूपये	11,778=00 रू0	2,494=00 रू0
2. प्रीमियम	1,68,400=00रू0	30,500=00 रू0
3. अधोसंरचना विकासकर	589=00रू0	125=00 रू0
4. पर्यावरण उपकर	589=00रू0	125=00 रू0
5. पंचायत उपकर -	निरंक,	निरंक
6. अर्धदण्ड -	निरंक,	निरंक

योग राशि :-2,14,600=00 अक्षरी- दो लाख चौदह हजार छः सौ रूपये मात्र। प्रस्तुत मूल चालान क्रमांक:- 14702191, जे/051471512दिनांक 10.09.2015 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया। प्रकरण में 172 (1) के तहत पुननिर्धारण अनुज्ञा निम्नांकित आरोपित शर्तों के अधीन माना जावे।

- टीप- 1. प्रकरण में धारा 59 (2) के तहत पुननिर्धारण छ.ग. शासन के राजपत्र दिनांक 19.08.2013 प्रकाशित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इसे अनुज्ञा ना माना जावे।
- आवेदक भवन एवं किसी भी प्रकार से निर्माण हेतु अभिविन्ध्यास अनुमोदित कराके, संयुक्त संचालक, नगर/ग्रामीण निवेश रायपुर से लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग आदि यथा लागू हो से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगे।
 - बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनो में उपयोग न किया जावे।
 - बिना अनुमति के उप विभाजन न करे।
 - भूमि स्वामी द्वारा शर्तों के उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र./284/ वाचक/अपर कले./2015

अपर कलेक्टर
परिवर्तित शाखा
रायपुर (छ.ग.)
रायपुर दिनांक 09.2015

प्रतिलिपि- 1.अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/आरंग-अभनपुर को आदेश क्र./क/परि.मु.लि.अ.वि.अ.दिनांक11.02.2013के संदर्भ में सूचनार्थ।



For, Singhanian Buildcon Pvt. Ltd.

Director

अपर कलेक्टर
परिवर्तित शाखा
रायपुर (छ.ग.)

गिरेतरीत गण

पृष्ठ 1

दिनांक 15/05/2011

संख्या 10/2011

परामर्शित तालिका 1000 को मासिक कर्मचारी वेतन (अनुसूची 1 के अनुसार)

कर्मचारी का नाम

पद

वर्ग

मासिक वेतन

अनुसूची 1

वर्ग

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्ग	मासिक वेतन	अनुसूची 1	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग
1	श्री. वि. वि. वि.
2	श्री. वि. वि. वि.
3	श्री. वि. वि. वि.
4	श्री. वि. वि. वि.
5	श्री. वि. वि. वि.
6	श्री. वि. वि. वि.
7	श्री. वि. वि. वि.
8	श्री. वि. वि. वि.
9	श्री. वि. वि. वि.
10	श्री. वि. वि. वि.
11	श्री. वि. वि. वि.
12	श्री. वि. वि. वि.
13	श्री. वि. वि. वि.
14	श्री. वि. वि. वि.
15	श्री. वि. वि. वि.
16	श्री. वि. वि. वि.
17	श्री. वि. वि. वि.
18	श्री. वि. वि. वि.
19	श्री. वि. वि. वि.
20	श्री. वि. वि. वि.
21	श्री. वि. वि. वि.
22	श्री. वि. वि. वि.

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

श्री. वि. वि. वि.

15/05/11